(ख) (ग) तथा (घ), जो न्यास आयकर अधिनियम के अन्तर्गत, निजी व्यापार तथा व्यक्तिगत हित के लिए न्यास निधियों के प्रयोग की रोक से सम्बन्धित उपबन्धों का उल्लंघन करते हैं वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट के हकदार नहीं होंगे । कर-निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान अपेक्षित छानबीन तथा जांच करने के बाद ही किसी न्यास को आयकर अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत छूट दी जाती है ।

दिल्ली और बिहार में बैंक ऋण

1776. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में मकान बनाने, उद्योग लगाने तथा अनाज का व्यापार करने और बसों व ट्रकों को खरीदने के लिए ऋण के रूप में कितनी राशि दी है तथा इसी अवधि में इन्हीं प्रयोजनों के लिए बिहार राज्य में कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : आंकड़े सूचित करने की प्रणाली के अन्तर्गत उस रूप में सूचना नहीं प्राप्त होती जिस रूप में वह मांगी गई है । परन्तु, पिछले तीन वर्षों के संबंध में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गए ऋण की बकाया रकम के बारे में उपलब्ध व्यवसाय-वार वर्गीकृत आंकड़े नीचे दिये गए हैं —

दिल्ली तथा बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की बकाया रकम का व्यवसायवार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये)

व्यवसाय	दिल्ली			बिहार		
	जून 1978	जून 1979	जून 1980	जून 1978	जून 1979	जून 1980
1 2	3	4	5	6	7	8
1. कृषि	135.66	97.58	118.82	69.03	101.54	128.01
2. उद्योग	286.40	449.45	604.89	291.30	314.02	298.77
3. परिवहन चालक	16.33	20.52	29.06	32.43	38.46	36.80
4. वैयक्तिक तथा व्यावसायिक सेवाएं	14.69	20.10	25.66	14.93	17.80	21.78
5. व्यापार	2042 59	21€4.22	1909.92	41.92	45.96	48.02

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	वैयक्तिक ऋण (उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं समेत)	42.42	45.40	52.60	9.64	12.66	13.25
7.	सभी अन्य	76.08	86.21	94.42	19.54	30.30	30.17
	जोड़	2614.17	2883.48	2835.37	478.79	560.74	576.80
	कुल ऋण जिसमें से लघु उद्योग	98.76	127.60	158.34	45.86	58.98	59.91

एशियाड 1982 के लिए पांच सितारा होटल

1777. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाड, 1982 के लिए कई पांच सितारा होटलों के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई है।

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं, जिन्हें यह आवंटित किए गए हैं तथा कितने प्रतिघन फुट की दर से इस भूमि का आवंटन किया गया है और उन क्षेत्रों में वर्तमान बाजार भाव क्या है;

(ग) बैंकों द्वारा इनको आसान किस्तों पर कितनी राशि ऋण के रूप में दी जाने की सभावना है तथा निर्माण पर कुल लागत कितनी होगी तथा इन अनुमानों का कितना प्रतिशत उन्हें बैंक ऋण के रूप में प्राप्त होने की आशा है; और

(घ) क्या यह सभी सच है कि एशियाड खेलों के लिए समय पर इन होटलों के तैयार होने की संभावना नहीं है यदि ऐसा है तो ऐसी सभी पार्टियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का सरकार का प्रस्ताव है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान): (क) जी, हां।

(ख) निर्माण और आवास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण और इन्टरनेशनल एथोरिटी आफ इंडिया के एशियाड, 1982 के लिए होटलों के निर्माण हेतु स्थल आवंटित किए है। जिन पार्टियों को ये स्थल आवंटित किए गए हैं। उनके नामों को तथा उन दरों को जिन पर कि ये आवंटित किए गए है, दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

[*See* Appendix CXXI, Annexure No. 63].

चूंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित स्थलों के सिवाए इन क्षेत्रों में नीलामी द्वारा किसी भी होटल-स्थल का निपटान नहीं किया गया, वर्तमान मार्किट दरों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा एशियाड होटल परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ऋण की राशि निर्माण की कुल लागत और प्रत्येक मामले में